

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग।
फौ0वा0सं0 90/2026
राज्य बनाम अतुल कुमार

09.07.2026

पत्रावली पेश। पुकारा गया। पुकारने पर अभियुक्त अतुल कुमार मय विद्वान अधिवक्ता आलोक कुमार तिवारी द्वारा अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले का निस्तारण चाहता है। स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 52(3)/83 पुलिस अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुए मु0 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(संतोष पच्छिमी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट
उखीमठ

बदहू:- अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड ई0पे0 के माध्यम से जमा किया गया जिसकी transaction id 8131851643133 है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष पच्छिमी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
उखीमठ